न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 38/19

1. अमनदीप कौर पत्नी श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 पी.टी.डी. (ढाणी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. मघर सिंह पुत्र श्री भजन सिंह जाति जटसिख निवासी 19 पी.टी.डी. (ढाणी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थी

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः–

1. श्री प्रीतम सिंह गिल, वकील प्रार्थी
2. एकपक्षीय

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.08.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करं निवेदन किया कि प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अनावेदक मघर सिंह की धृति चक 19 पी.टी.डी तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 283/346 मु.नं. 25 के कि.नं. 21 व 22 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा वा 23/1 में 0.004है यानि कुल 0.030है. दक्षिण पासा रास्ता स्वीकृत फरमाने हेतु निवेदन किया ताकि मु.नं. 24 के कि.नं. 21 ता 25 में चालू व स्वीकृतशुदा का विस्तार मु.नं. 25 के कि.नं. 21–22–23 तक होने से प्रार्थीया अपनी भूमि में आ जा सके। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। दिनांक 23.07.2019 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से मौका जाँच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के चक 19 पी.टी.डी. खाता सं. 45 प.नं. 283/346 मु.नं. 25 के कि.नं. 13/2 में 0.190, 14–15 में 0.506, 16 में 0.101, 17–18 में 0.506, 23/2 में 0.190, 24 में 0.089 है. कुल 1.582 है कमाण्ड भूमि आवेदक अमनदी कौर पत्नी गुरमेल सिह जाति जटसिख सा. 19 पीटीडी के नाम खातेदारी दर्ज हैं। इसी मु.नं. 25 प.नं. 283/346 के कि.नं. 2/2 में 0.126, 9/2 में 0.029, 12/3 में 0.029, 19/2 में 0.029, 21–22 में 0.506 कुल 0.782है कमाण्ड भूमि अनावेदक मघर सिंह पुत्र भजन सिंह कौम जटसिख सा. देह खातेदार रहन पी.एन.बी. शाखा नई धान मण्डी रायसिंहनगर दर्ज हैं। प.नं. 283/346 मु.नं. 25 के पश्चिमि दिशा में चिपते मु.नं. 24 प.नं. 284/346 के कि.नं. 21ता25 में दो–दो बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज व मौका पर चालू हैं। यह रास्ता ही आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता तक पहुंचने वाला निकटतम रास्ता हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तावित प.नं. 283/346 मु.नं. 25 के कि.नं. 21–22 प्रत्येक में 0.013है, 23/1 में 0.004है. दक्षिणी दिशा में वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प इस चक में उपलब्ध नहीं हैं।

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया के पास धृति भूमि में आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अतः प्रार्थीया को रास्ता की आत्यंतिक आवश्यक्ता एवं वैकल्पिक रास्ता के अभाव के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। एवं चक 19 पी.टी.डी तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 283/346 मु.नं. 25 के कि.नं. 21 व 22 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा वा 23/1 में 0.004है यानि कुल 0.030है. दक्षिण पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीया रास्ते में आई भूमि के बदले मुआवजे के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी दर के दो गुणा राशि का भुगतान करेगा। तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर प्रार्थीगण से राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को भुगतान करें। तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी आशय का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner